भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1538
26.07.2016 को उत्तर के लिए

सीआरजेड मानक

1538. श्री के.सी. वेणुगोपाल :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के तटीय क्षेत्रों में तटीय विनियमन क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की छोटे स्तर की निर्माण गतिविधियों जैसे कि मत्स्यन और सीआरजेड मानकों से देश में भंडारण उद्देश्य से संबंधित अवसंरचनात्मक विकास को छूट देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश के छोटे स्तर पर मत्स्यन समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है; और

(घ) सीआरजेड मानकों में उक्त परिवर्तनों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री अनिल माधव दवे)

(क) सरकार ने निम्नलिखित प्रस्तावों पर लोगों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में प्रारूप संशोधन अधिसूचित किए हैं :

(i) **गोवा के सीआरजेड क्षेत्र में जून से अगस्त के दौरान गैर-प्रचालन रूप में अस्थायी अवसंरचनाएं बनाने की अनुमति प्रदान करने हेतु;**

(ii) **ग्रेटर मुंबई के सीआरजेड-I में नगरीय प्राधिकरणों द्वारा मलजल शोधन संयंत्र के निर्माण की अनुमति प्रदान करने हेतु;**

(iii) **सीआरजेड-I(ए) को छोड़कर सीआरजेड क्षेत्र में भंडारण हेतु अनुमत रासायनों की सूची में संशोधन करने हेतु; और**

(iv) **तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के अप्रचालनरत होने के मामले में अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावों के मूल्यांकन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन (यूटी) के वन विभाग को प्रदान करने के लिए।**

(ख) और (ग) जी, नहीं, सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के प्रावधानों में देश में लघु स्तर के मत्स्यन समुदायों की चिंताओं को दूर करने के उपाय भी शामिल हैं।

(घ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए 545 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

*****